RAJRAS

राजस्थान की

प्रमुख

सरकारी योजनाएं

Index

कृषि योजनाएं..... 1

वित्तीय क्षेत्र की योजनाएं..... 7

जन स्वास्थ्य सेवा योजनाएं..... 11

सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं..... 14

लड़कियों व महिलाओं से संबंधित योजनाएं..... 18

शासन सुधार योजनाएं..... 20

आजीवन संबंधित योजनाएं..... 23

उद्यमिता और स्व-रोजगार..... 25

शिक्षा पर योजनाएं..... 28

ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं..... 34

बुनियादी ढांचा से संबंधित योजनाएं..... 41

कृषि योजनाएं

सौर पम्प कृषि-कनेक्शन योजना

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राज्य में लगभग 70 हजार आवेदकों के कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने एवं ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। आवेदकों में किसान वो शामिल हैं जिनके कृषि कनेक्शन दिसंबर 2013 से लंबित है।

विशेषताएं:

- पहले चरण में, 10,000 सौर पंप स्थापित किए जाएंगे।
- इस योजना में पंजीकरण के लिए सामान्य कृषि कनेक्शन पावर निगम के संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में 1000 / - रुपये जमा करके आवेदन करने में सक्षम होंगे।
- 60 प्रतिशत राशि योजना में सरकार द्वारा वहन की जाएगी और शेष 40 प्रतिशत आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।
- 7 साल के लिए संचालन, रखरखाव और बीमा की स्थापना निगम द्वारा की जाएगी।

किसान कलेवा योजना

- किसान कल्याव योजना को किसानों को सब्सिडी दरों पर 'सुपर', 'ए' और 'बी' वर्ग में कृषि उपज मंडी समताओं में गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के लिए पेश किया गया है।

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 को राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- लाइसेंसधारक महिला श्रमिकों को दो गर्भावस्था की अवधि के लिए अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
- लाइसेंसधारक महिला श्रमिक के विवाह एवं उसकी दो पुत्रियों की सीमा तक 20 हजार रुपए प्रति विवाह सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
- 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर लाइसेंसधारी मजदूर का बेटा / बेटी इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के हकदार है।
- गंभीर बीमारी के मामले में लाइसेंसधारी मजदूर को `20,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA)

महत्वपूर्ण तथ्य:

- मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले में गांव गर्दनखेड़ी से अभियान शुरू किया था।
- वर्ष 2016 को # जलक्रांति वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है
- इस योजना के अंतर्गत 2016 में 3000 प्राथमिकता वाले और 3 साल तक हर साल 6000 गांवों को लाभान्वित करके 2020 तक राज्य के लगभग 21 हज़ार गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है।
- यह योजना चार-जल संकल्पना पर आधारित है, इस संकल्पना में प्रयुक्त जल संरक्षण की योजना में ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध अपवहन का संचयन (वर्षा जल, भूजल, भूमिगत जल और मिट्टी में नमी)जलग्रहण, उचित उपयोग, नवीनीकरण और नए जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है ।

योजना के प्रमुख उद्देश्य:

- राजस्थान को जल स्थायी राज्य बनाने के लिए
- विभिन्न विभागों के संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से प्रभावी जल संरक्षण सुनिश्चित करने व सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए
- सामुदायिक भागीदारी व पानी बजट के माध्यम से एक गांव कार्य योजना तैयार करने,फसल पद्धति में बदलाव के लिए
- स्थायी उपायों के माध्यम से पीने के पानी के लिए गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई बनाने,सिंचित और उपजाऊ क्षेत्रों में वृद्धि करके फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए
- <u>जनता द्वारा योगदान</u>: इस योजना में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में किसी भी राशि का दान करके अपना योगदान दे सकता है। मुख्यमंत्री ने स्वयं 6 महीने के वेतन का योगदान दिया है।
- <u>जल-बजट</u>: पानी के बजट की अवधारणा ग्राम सभा में शुरू की गई, जहां पानी के उपयोग (पीने, सिंचाई, पशुधन और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए) का निर्धारण और विभिन्न संसाधनों से उपलब्ध जल संरक्षण के लिए पानी का बजट तैयार किया जाता है कार्यो को पहचान कर स्वीकृत किया जाता है और उस अनुसार मिशन की कार्य योजना तैयार की जाती है।

चरण I :

- राज्य से 295 पंचायत समितियों के 3 हजार 52 9 गांवों का चयन किया गया
- अभियान के तहत, चयनित गांवों में, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों जैसे तालाबों, बावडियो , टांके आदि का निर्माण किया गया है और नई तकनीकों के साथ निक, टाँके, लगाम आदि का निर्माण किया गया है।

चरण II :

- नवंबर, 2016 में शुरू किया गया।
- दूसरे चरण में 4200 गांव शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, अभियान में 66 शहरों (प्रत्येक जिले के 2) को भी शामिल किया गया हैं।

चरण III:

- कैबिनेट ने MJSA की II-चरण की समीक्षा की और क्रमशः 9dec'17 व 20jan' 18 की तीसरे चरण की रेगिस्तान और गैर-रेगिस्तानी जिलों की कार्य योजना बनाई।

ऊंट प्रजनन योजना

ऊंटो की निरंतर गिरती संख्या को रोकने के लिए और राज्य में ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए 2 अक्टूबर, 2016 को ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

भामाशाह पशुधन बीमा पॉलिसी

भामाशाह पशुधन बीमा पॉलिसी की शुरूआत पशुओं की असामयिक मृत्यु से होने वाले नुकसान से किसानों और पशुधन मालिकों की रक्षा हेतु की गई है। इस योजना के अनुसार, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बीपीएल श्रेणी के पशुधन मालिकों को प्रीमियम का 70 प्रतिशत और बाकी को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

ज्ञान सागर क्रेडिट योजना

यह योजना ग्रामीण और शहरी छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने व छात्रों और उनके माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। भारत और विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने की अधिकतम लोन सीमा क्रमशः `6.00 लाख और 10.00 लाख है। इस योजना के अनुसार छात्रों को ब्याज दर पर 0.50 फीसदी राहत का प्रावधान किया गया है , वित्तीय वर्ष 2016-17 में, नवंबर,2016 तक 8.42 लाख की राशि वितरित की गई है।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना (MBSY)

- कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर तीन जिलों को(MBSY) के पायलट परियोजना के तहत मुख्यमंत्रीय बीज स्वावलंबन योजना के लिए चुना गया है।
- एमबीएसवाई किसानों को अपने स्वयं के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजो के उत्पादन में मदद करेगा और बीजों के लिए किसी ओर पे उनकी निर्भरता को कम कर देगा

राजस्थान की कृषि में नई नीतिगत पहल:

- राजस्थान राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन विपणन समिति की सूची से फलों और सब्जियों को हटा दिया है, जिससे किसान अब किसी भी इच्छुक पार्टी को इसे बेच सकते हैं।
- नवंबर 2015 में, कृषि-प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने "कृषि प्रसंस्करण और कृषि विपणन प्रचार नीति 2015" का शुभारंभ किया।
- धनिया के लिए रामगंजमंडी ; जीरा के लिए जोधपुर और मेड़ता को कमोडिटी-विशिष्ट बाजारों में सूचित किया गया है
- राज्य में दो कृषि निर्यात क्षेत्रों का संचालन किया गया है, इसमें 5 जिलों को सम्मिलित किया है प्रत्येक मुख्य रूप से मसालों, धनिया और जीरा पर केन्द्रित होंगे।
- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) ने राजस्थान में 2 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दे दी है।
- केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंडी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) का शुभारंभ किया। 30 सितंबर तक करीब 200 मंडियां ऑनलाइन जुड़ चुकी है जिनमें से 11 राजस्थान से हैं इनमे रामगंज मंडी, पदमपुर, फतेहनगर, गंगापुर सिटी, बून्दी, बारां, कोटा अनाज, अटरू,मेड़ता, नागौर और हिंडोन हैं। राज्य कृषि विभाग ने eNAM को 15 और मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
- MOFPI द्वारा 'शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और संरक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर' के तहत चार शीतगृह शृंखला परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। चार परियोजनाओं में से एक जो अलवर में थी पहले से ही पूरी हो चुकी है और वाणिज्यिक परिचालन भी शुरू हो गया है।
- अनुबंध कृषि: राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि उत्पाद बाजार (तीसरा संशोधन) अधिनियम 2005 में अनुबंध कृषि को सक्षम करने के लिए संशोधन किया है।
- एकल खिड़की निकासी प्रणाली: ऑनलाइन आवेदन और निवेश कार्यों और समयबद्ध स्वीकृति की ट्रैकिंग के लिए एक एकल मार्ग स्थापित किया गया है।
- GRAM 2016 में, राजस्थान सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश के लिए 4400 करोड़ मूल्य के 38 MoUs पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजस्थान में कार्यान्वित महत्वपूर्ण केंद्रीय शासकीय योजनाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

राजस्थान में गेहूं और दलहन पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार ने वित्त पोषण पैटर्न को बदल दिया और अब भारत सरकार : राजस्थान सरकार का अनुपात 60:40 है।

राज्य के 14 जिलों जैसे बंसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुनझुनु, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई-माधोपुर, सीकर, टोंक और उदयपुर में NFSM-गेहूं का कार्यान्वयन किया गया है।

NFSM-दलहन शुरू में 16 जिलों में शुरू हुआ था, लेकिन अब सभी जिलों को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया गया है।NFSM- मोटे अनाज राज्य के 12 जिलों (अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरु, जयपुर, जालोर, झुनझुनु, जोधपुर, नागौर और सीकर) में लागू किया जा रहा है।

NFSM- राज्य के 16 जिलों (अजमेर, अलवर, बीकानेर, बंसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़, जालोर, जोधपुर, हनुमानगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, नागौर, राजसमंद, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर) में वाणिज्यिक फसलें लागू की जा रही हैं।

तेल बीज और तेल पाम राष्ट्रीय मिशन (NMOOP)

NMOOP का लक्ष्य तिलहन, ताड़ और TBO से उत्पादन वाले वनस्पति तेल को बढ़ाने और खाद्य अनाज और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का है। 2015-16 के दौरान, भारत सरकार ने वित्त पोषण पैटर्न को कम कर दिया है और भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वर्तमान वित्तपोषण पैटर्न 60:40 है।

कृषि विस्तार व प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (NMAET)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तपोषण पैटर्न को 60:40 तक घटा दिया गया है। NMAET 5 उप-मिशन पर आधारित है:

- कृषि विस्तार पर उप-मिशन(SMAE)
- बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)
- कृषि मैकेनाइजेशन पर उप मिशन (SMAM)
- प्लांट प्रोटेक्शन व प्लांट क्वारंटाइन पर उप मिशन(SMPP)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY / राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम)

भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 4 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान RKVY शुरू किया। वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार ने वित्त पोषण पैटर्न को 60:40 (भारत सरकार : राज्य सरकार) से घटा दिया है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

PMKSY को चल रही योजनाओं जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (IWMP) और ऑन फार्म जल प्रबंधन (OFWM) का एकीकरण माना गया है। 2015-16 से PMKSY राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच PMKSY वित्त पोषण पैटर्न 60:40 है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) द्वारा PMFBY को वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठित और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) को संशोधित किया गया था। खरीफ फसल 2016 से PMFBY योजना लागू की गई है।

राष्ट्रीय उद्यान मिशन (NHM)

विभिन्न बागवानी फसलों जैसे फलों, मसालों और फूलों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 24 जिलों जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां ,झालावाड़ , जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर , नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर , उदयपुर, डुंगरपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, झुनझुनू, सिरोही, जैसलमेर और श्री-गंगानगर को चयनित किया गया है

वित्तीय क्षेत्र की योजनाएं

भामाशाह योजना

भामाशाह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो प्राप्तकर्ताओं को सीधे सरकारी योजनाओं के वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों को हस्तांतरित करती है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का उद्घाटन किया।

विभिन्न नकदी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, भास्कर स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार, छात्रवृत्ति, राशन वितरण आदि जैसे गैर-नकद योजनाओं का लाभ भामाशाह मंच के माध्यम से किया गया है।

उद्देश्य:वित्तीय समावेश, महिला सशक्तिकरण और प्रभावी सेवा वितरण।

मुख्य विशेषताएं:

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की परिकल्पना सबसे पहले , 2008 में की गई थी लेकिन अन्तत 2014 में पुनर्निर्माण और लॉन्च किया गया।
- भामाशाह कार्ड के माध्यम से अनेक लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद लाभ स्थानांतरित किया गया है।
- गैर नकद लाभ भी सीधे हकदार लाभार्थियों को दिया जाता है

क्रियाविधि :

- घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पर बैंक खाते खोले जा रहे हैं और पूरे राज्य में परिवारों को यह भामाशाह कार्ड दिए जा रहे है।
- सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी नकद लाभ सीधे इन बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के गैर-नकद लाभों के हस्तांतरण के लिए भी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- भामाशाह योजना में, नामांकन के समय, परिवार की पूरी जानकारी और उसके सभी सदस्यों को भामाशाह कार्ड में जोड़ा जाता है। सभी सरकारी योजनाएं जिसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य हक़दार हैं, उनकी जानकारी (जैसे पेंशन नंबर, नरेगा नौकरी कार्ड संख्या आदि) भी भामाशाह से जोड़ी जाती है। व्यक्तिगत लाभार्थियों का बैंक खाता भी भामाशाह से जुड़ा होता है, जो कि उनके बैंक खातों में नियत तारीख पर सरकारी योजनाओं (पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा आदि) का लाभ पौंछा दिया जाता हैं।

- भामाशाह योजना का नामांकन ई-मित्रा काउंटर पर बदला जा सकता है।
- लाभार्थी को निकासी की सुविधा के लिए रुपये डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है।
- नकद लाभों के अलावा, भामाशाह योजना के माध्यम से फिंगरप्रिंट द्वारा बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण से उचित मूल्य वाली दुकानों से राशन वितरण जैसे अन्य लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
- भामाशाह प्लेटफार्म इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के लिए JAM(जन धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी का लाभ उठा सकता है

भामाशाह कार्ड:

- बॉयोमीट्रिक कार्ड
- केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष सदस्य भी निम्न प्रकार के भामाशाह कार्ड बना सकते हैं।

परिवार कार्ड:

- भामाशाह कार्ड परिवार की महिला प्रमुख को राज्य सरकार द्वारा नि: शुल्क प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड, UID (आधार) के माध्यम से लाभार्थी की बॉयोमीट्रिक पहचान लेता है और अपने मुख्य सक्षम बैंक खाते के साथ संबंध सुनिश्चित करता है।

व्यक्तिगत कार्ड:

- नामांकित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मामूली शुल्क का भुगतान करके व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। यह कार्ड, पहचान पत्र होने के अलावा, व्यक्तिगत अधिकारों को रेखांकित भी करता है जैसे पेंशनभोगी; असंगठित श्रमिक आदि।

अन्नपूर्णा भंडार योजना:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए PPP मॉडल राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) पेश की। यह योजना 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले के भमभोरी गांव से लोगों को गांव-गांव तक ब्रांडेड उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था।

राजस्थान सरकार ने राशन दुकानों के माध्यम से बहु-ब्रांड उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना को पहले चरण में 5,000 राशन की दुकानों के माध्यम से लागू किया गया था।

पात्रता:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल व्यक्ति और परिवार इसके लिए पात्र है

सकारात्मक परिणाम:

- अन्नपूर्णा स्टोर जहां आधुनिक खुदरा का लाभ PDS की दुकानों के माध्यम से राज्य के लोगों तक पहुँचाया जाता है को ग्रामीण मॉल के रूप में घोषित किया गया है। इन उचित मूल्य की दुकानों पर अब अनाज, सब्जी, चीनी इत्यादि के साथ ही फ्यूचर ग्रुप के पोर्टफोलियो द्वारा ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पाद भी प्राप्त होंगे। यह योजना 5000 FPS डीलरों के साथ एक उद्यमिता ड्राइव बन गई है इसने डीलरों की बिक्री बढ़ा दी है और उन्हें मुनाफे का संचालन करने की अनुमति भी दी है।

जन स्वास्थ्य सेवा योजनाएं

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 दिसंबर 2015 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं सरकारी अस्पतालों व निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों का खर्चा स्वास्थ्य पर कम करना है।

विशेषताएं:

यह योजना IPD रोगियों को नकद रहित सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए सरकार (मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग) द्वारा बीमा कंपनी "न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी" के माध्यम से अस्थाई तौर पर प्रति वर्ष एक निश्चित प्रीमियम प्रति परिवार के लिए निश्चित किया गया है

योजना का उद्देश्य:

- सरकारी पैसे को बचाने करने के लिए
- ऐसी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल प्रदान करने के लिए जो जेब पर बड़ा असर न डाले
- बीमारी के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए
- राज्य की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए।
- एक ऐसा डेटाबेस बनाने के लिए जो हेल्थकेयर नीति परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
- ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांति लाने के लिए - निजी संस्थाओ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों को खोलने का बढ़ावा प्रदान करके सरकारी सुविधाओं पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए।

पात्रता:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार।

महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- हर योग्य परिवार को हर साल सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये दिए जा रहे है। इसके अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्च व भर्ती से 7 दिन पहले से 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल किया जाता है।
- भामाशाह योजना के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इस योजना में 1715 रोग शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, नेफ्रोलॉजी, ग्रेस्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मनश्चिकित्सा सहित 300 से अधिक विशेषता उपचारों के नए पैकेज भी जोड़े जाएंगे।

- भामाशाह योजना से पहले, चल रही योजनाओं में केवल दवाएं और चेक नकद में उपलब्ध थे, लेकिन अब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी चेक, उपचार, डॉक्टर की फीस, संचालन आदि शामिल किए गए हैं।

अंतरा इंजेक्शन योजना:

- गर्भनिरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा से अंतरा इंजेक्शन योजना शुरू की है।
- इंजेक्शन 3 महीने के लिए कारगर है और इसे इच्छुक जोड़ों के लिए सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

मिशन इंद्र-धनुष:

- यह घातक रोगों के खिलाफ बच्चों की रक्षा के लिए यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान है।
- यह एक विशेष अभियान है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे को एक भी वैक्सीन से वंचित नहीं किया गया है।
- इस योजना में 9 घातक रोगों जैसे पोलियो, टीबी, डिप्थेरिया, होपिंग खांसी, टिटनेस, डायरिया, मेनिनजाइटिस / न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस बी और मिसल्स के खिलाफ नि: शुल्क प्रतिरक्षण टीके हैं।

मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना:

मुख्य मंत्री निःशुल्का दवा योजना को " 2 अक्टूबर, 2011 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी रोगियों को लाभ देना है। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े सभी अस्पताल , जिला अस्पताल ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र पर आने वाले सभी बाहरी और अंतरंग मरीजों को आवश्यक दवाइयां मुफ्त में प्रदान की जाती है।राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (RMSC) को केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में गठित किया गया है। RMSC सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित जिला औषधि भंडार (DDWH) के माध्यम से दवाइयों आदि की आपूर्ति कर रहा है।

मुख्य मंत्री निःशुल्क जांच योजना

यह योजना सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मौजूदा प्रयोगशालाओं और जाँच सुविधाओं को मजबूत करने व सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को आवश्यक जांच सुविधाएँ निशुल्क प्रदान करने के लिए शुरू की गई है

नया सवेरा:

भारत सरकार ने 31 मार्च, 2016 के बाद डोडा पोस्ट व्यसनियों के परमिट के नवीकरण को रोकने और राज्य में सभी डोडा पोस्ट उपयोगकर्ताओं को नशा-मुक्त करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार , राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम 'नया सवेरा (स्वस्थ जीवन की और)' शुरू किया है।

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना (RJSSY)

बच्चे के जन्म के दौरान IMR और उच्च मृत्यु दर को कम करने के लिए, राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में "राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना" लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, मुफ्त-दवाइयां, उपभोग्य सामग्रियां, प्रयोगशाला परीक्षण, भोजन, रक्त की सुविधा, रेफरल परिवहन सुविधाएं आदि प्रदान की जा रही हैं।

जननी एक्सप्रेस:

गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस स्थानांतरित करने के लिए जननी एक्सप्रेस शुरू कि गई है। रेफ़रल परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए, 600 जननी एक्सप्रेस वाहन राज्य में चालू हैं। मौजूदा '104' सुविधा का उपयोग 'जननी एक्सप्रेस' की सेवाओं का उपयोग के लिए कॉल करने के लिए किया जा रहा है।

धन्वंतरि '108' टोल फ्री एम्बुलेंस योजना

राज्य के लोगों को मुफ्त आपातकालीन सेवाएं देने के लिए सितंबर 2008 में यह योजना शुरू हुई।

आशा सहयोगिनी

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) की स्थापना के बाद से, NRHM गतिविधियों के कार्यान्वयन में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) घटक ने एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान में, आशा को आशा सहयोगी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्यकर्ता है। आशा का चयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है और यह आंगनवाड़ी केंद्रों की मदद से काम करती है। काम शुरू करने से पहले उसे गहन प्रेरण प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है।

BPL 5 लीटर देशी घी योजना:

यह एक योजना है जो राज्य सरकार द्वारा 01 मार्च 2009 के बाद से सभी जिलों में लागू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार के संस्थानों में पहली डिलीवरी पर BPL महिलाओं को उपहार में 5 लीटर सरस देही घी का टोकन देने का प्रावधान है।

मुख्य मंत्री BPL जीवन रक्षा कोष

"मुख्य मंत्री BPL जीवन रक्षा कार्य योजना" 1 जनवरी 2009 से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों के मरीजों का मेडिकल कॉलेज से सम्बंधित चिकित्सालयों, जिला उपखण्ड एवं सेटेलाइट चिकित्सालयों,समुदायक स्वस्थ्य केन्द्रो तथा प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रो के आउटडोर एवं इंडोर में निशुल्क उपचार किया जाता है।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं

बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान

राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल द्वारा दौसा से यह अभियान शुरू किया गया था। वर्ष 2016-17 में, UNFPA और UNICEF के समर्थन से एक विशेष अभियान, "सांझा अभियान-बाल विवाह मुक्ति राजस्थान" राज्य में शुरू किया गया है, जिसमें राजस्थान को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य है।यह अभियान सरकार, नागरिक समाज, व्यक्तियों और मीडिया द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध एकीकृत कार्रवाई करने वाली विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों, प्रयासों और विचारों को जोड़ने और संगठित करने के लिए एक मंच के रूप परिकल्पित किया है

तथ्य-फाइल: राजस्थान में बाल विवाह

- 2012-13 के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि राजस्थान में 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग की 51.2 प्रतिशत महिलाएं है, जो 18 वर्ष की आयु से पहले शादी कर चुकी थी।
- संबंधित कानून: बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध

MARRIAGE									
State / District	Marriages among Females below legal age (18 years) (%)#			Marriages among Males below legal age (21 years) (%)#			Currently Married Women aged 20-24 years married before legal age (18 years) (%)		
	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rajasthan	14.3	17.8	5.4	27.5	34.0	12.3	51.2	54.7	36.9

मुख्यमंत्री जन आवास योजना

शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा लागू।

आवश्यकता:

- आवास कमी के तकनीकी समूह द्वारा राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 1.05 मिलियन घरों की कमी की जानकारी की। इसके अलावा, इनमे से 85% EWS/LIG श्रेणी में पाए गए ।
- 2009 में शुरू की गई सस्ती हाउसिंग पॉलिसी को संशोधित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री जन आवास -2015 योजना का नाम दे दिया गया।

मुख्यमंत्री की जन आवास योजना का लक्ष्य

- मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सभी के लिए किफ़ायती आवास की व्यवस्था करना है | इस योजना में विशेष रूप से समाज की EWS और LIG वर्गों को आवास प्रदान करके आवास की कमी की पूर्ति करना है।
- इस योजना के कई प्रावधान निजी डेवलपर्स और सरकारी निकायों को राज्य में किफायती आवास निर्माण के लिए आकर्षित करेंगे।

पन्नाध जीवन अमृत योजना (आम आदमी जीवन बीमा योजना):

- केंद्र सरकार की योजना आम आदमी जीवन बीमा योजना के अनुरूप, राज्य सरकार ने पन्नाध जीवन बीमा योजना शुरू की है इस योजना का लाभ निम्न लोगो को मिलेगा :
- गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति (बीपीएल) की मृत्यु या
- आस्थ कार्डधारक परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मौत
- पूर्ण स्थायी /आंशिक विकलांगता की स्थिति मे राज्य सरकार ऐसे परिवार के 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त जीवन बीमा सुविधा और छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

वित्तीय अनुदान:

- सामान्य मृत्यु की दशा में रु 30,000
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर /स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर रु 75,000
- 2 आंख या 2 हाथ /पैर या एक आंख व एक हाथ/ पैर की क्षति होने पर रु 75,000
- एक आंख व एक हाथ/ पैर की क्षति होने पर रु 37,500

छात्रवृत्ति लाभ

100 रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह के आधार पर 1200रु.प्रति छात्र प्रति वर्ष,लेकिन अधिकतम 4 वर्ष तक देय।

नामांकन:

बीमित की मृत्यु पर, उसकी पत्नी / पति को बीमा राशि के भुगतान के लिए मनोनीत माना जाएगा। यदि बीमाकृत व्यक्ति का पति या पत्नी जीवित नहीं है, तो परिवार कार्ड में नामांकित सबसे बड़ा बच्चा नामित किया जाएगा।

नंदघर योजना:

नंदघर योजना वर्ष 2015 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आंगनवाडी केन्द्र के आधुनिकीकरण में सामुदायिक सहयोग का लाभ लेना है। इस योजना के माध्यम से, NGO, कॉरपोरेट्स, दानदाता एक आँगनवाड़ी केंद्र गोद ले सकते हैं और इसके विकास में भागीदारी सकते हैं।

स्कूल ऑन व्हील्स अभियान:

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोबाइल 'पहियों पर पुस्तकालय-सह-विद्यालय ' शुरू किया। यह एक गैर सरकारी संगठन, टबर सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था इस योजना का उद्देश्य खानाबदोश और आदिवासी बच्चों के बीच शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है।

मुख्य मंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना:

वृद्धावस्था पेंशन के तहत 55 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाये व, 58 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले पुरुषो को 500रु प्रति माह और 75 वर्ष की आयु के बाद 750रु प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।

मुख्य मंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना:

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की, विधवा, तलाकशुदा,परित्यक्ता महिलाओं को 500रु प्रति माह पेंशन मिल रही है।

मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना:

8 वर्ष से कम उम्र के विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को 250 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है, और 8 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के लिए यह प्रति माह 500रु है।

पालनहार योजना:

शुरूआत में यह योजना 2004-05 में अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए शुरू की गई थी। एक व्यक्ति (आम तौर पर एक करीबी रिश्तेदार) एक बच्चे को लाने व उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेता है और इसे "पालनहार" कहा जाता है। इस योजना में, 0-6 साल के बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी जाते हैं 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है और 6-18 साल की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह और '2,000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

मुख्य मंत्री हुनर विकास योजना:

यह योजना पालनहार योजना के लाभार्थियों व सरकारी और गैर सरकारी संस्थागत घरों में रहने वाले बच्चों की उच्च शिक्षा / कौशल विकास कार्यक्रम के लिए है। इस योजना के तहत 17 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

अनुप्रति योजना:

इस योजना में,ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज परीक्षा और राज्य सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राजस्थान के मूलनिवासी दिव्यांगों को `5,000 से 65,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है, राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल और शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राजस्थान क मूलनिवासी दिव्यांगों के लिए `20,000 से 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। इस योजना के लिए 2016-17 में 10 लाख रु का बजट प्रावधान है।

अनुप्रती योजना:

UPSC, RPSC, IIT, IIM, AIIMS, NIT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) द्वारा आयोजित संघ लोक सेवा,राज्य लोक सेवा और अधीनस्थ परीक्षाओं के विभिन्न चरणों को पास करने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एप्लाइड रिसर्च (कोलकाता और बेंगलूर) , GoI / MCI प्रमाणित मेडिकल कॉलेजों और 10 + 2 में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रो और राज्य सरकार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर राजस्थान के मूलनिवासी अल्पसंख्यक श्रेणी(मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) के युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी गई है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना:

इस योजना के अंतर्गत, 5 लाख रूपये तक का ऋण ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार के लिए प्रदान किया जाता है, जिनके माता-पिता / अभिभावक और सभी स्रोतों से आय 2 लाख रु प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है सरकार ऋण की अधिकतम राशि का 50 प्रतिशत या 50,000 रु जो भी कम है, की अधिकतम सब्सिडी प्रदान करती है।

दिव्यांग विवाह और परिचय सम्मलेन:

इस योजना के अंतर्गत, दिव्यांग (पुरुष/महिला) को शादी के बाद एक खुशहाल विवाहित जीवन के लिए 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता तथा आयोजक (पंजीकृत समाज)को भी 20,000 रुपये प्रदान किये जाते है।

कृत्रिम अंग / उपकरण लगाने हेतु आर्थिक सहायता:

इस योजना के तहत स्व-रोजगार और कृत्रिम अंग / उपकरण के लिए पात्र दिव्यांगों (जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है) को 7,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लड़कियों व महिलाओं से संबंधित योजनाएं

मुख्यमंत्री राजश्री योजना:

बेटियों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने के लिए एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए, सरकार ने 1 जून, 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की जन्म दर में वृद्धि करना, बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए की गई है पहले, शुभ लक्ष्मी योजना लागू की गई थी लेकिन सरकार ने इसे बाहर खींच लिया और मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत सरकार1 जून 2016 या उसके पश्चात् जन्म लेने वाली बालिकाओं जो सरकारी अस्पतालों और पंजीकृत अस्पतालों में पैदा हुई की शिक्षा के लिए 6 चरणो में 50,000 रुपये का भुगतान करेगी।

योजना के लिए पात्रता:

राजश्री योजना की पहली दो किश्तें सभी लड़कियों के लिए उपलब्ध है, जो कि किसी भी सरकारी अस्पताल और जननी सुरक्षा योजना (JSY) से पंजीकृत निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट में पैदा हुई हैं।इसके अतिरिक्त, योजना के लाभ के लिए लाभार्थी का भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।

विभिन्न चरणों में कन्या के माता-पिता को वित्तीय सहायता

एक लड़की के जन्म से 12 वीं कक्षा तक, शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल के लिए माता-पिता को 50,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि निम्न चरणों में दी जाती है

- बेटी के जन्म पर 2500 रुपये
- टीकाकरण के लिए एक वर्ष के 2500 रुपये
- प्रथम श्रेणी में प्रवेश के लिए 4000 रुपए
- कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 5000 रुपए
- कक्षा 10 में प्रवेश के लिए 11000 रुपए
- कक्षा 12 पास करने पर 25000

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना:

प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में भारत के 100 जिलों के लिए बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत की। राजस्थान में यह योजना शुरू में कम CSR वाले दस जिलों (अलवर, भरतपुर, दौसा, धोलपुर, झुनझुनु, जयपुर, सीकर, करौली, सवाई माधोपुर और श्री गंगानगर) में शुरू की गई थी। योजना के द्वितीय चरण में, चार नए जिलों (जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और टोंक) को जोड़ा गया।

गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016:

गरिमा बालिका और संरक्षण योजना को विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों द्वारा लड़कियों के संरक्षण के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कृत करने व उन्हें पहचान दिलाने के लिए किया गया है

इस योजना के तहत पुरस्कार दो स्तरों पर दिया जाएगा-पहला व्यक्तिगत इनाम और दूसरा संस्थागत, इनाम में `25,000 / - कैश और मान्यता का प्रमाण पत्र शामिल होगा, जो हर वर्ष 24 जनवरी को राज्य स्तर पर मनाये जाने वाले राष्ट्रीय कन्या दिवस के अवसर पर प्रदान किया जायेगा।

आश्रय योजना

आश्रय योजना के माध्यम से, सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और राज्य के सैटेलाइट अस्पतालों से जुड़े अस्पतालों में पालना रखेगी।

शासन सुधार योजनाएं

न्याय आपके द्वार

न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। अभियान की शुरुआत प्रदेश के किसानों एवं ग्रामीणों के अपने स्वामित्व, खातेदारी अधिकार तथा उत्तराधिकार के झगड़ों और विवादों के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित चल रहे मुकदमों और उनसे आमजन को हो रही समय और पैसे की बर्बादी से छुटकारा दिलाने के लिए की गई है।

न्याय आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण 9 मई, 2016 से शुरू किया गया था जिसके तहत पूरे राज्य में 12 हजार 387 शिविर लगाए गए थे जिसमें 48 लाख 46 हजार 54 मामले निपटान किए गए थे और 431 ग्राम पंचायतों को राजस्व विवाद से मुक्त घोषित किया गया था। इस प्रकार, कुल 523 ग्राम पंचायत (पंचायत वर्ष 2015 और 2016 में 72 ग्राम) राजस्व विवाद से पूरी तरह मुक्त हैं।कुल मिलाकर, इस अभियान ने 28 लाख 'लोक अदालतों' के माध्यम से 69 लाख मामलों का समाधान किया है, कुछ तो दशकों से पुराने हैं। आपके दरवाजे पर न्याय का तीसरा चरण 8 मई, 2017 को शुरू हुआ।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर:

राज्य में 14 अक्टूबर 2016 से पंचायत स्तर पर ग्रामीण लोगों की शिकायतों का निपटान करने के लिए "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर" का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को सेवाएं प्रदान करना है ताकि जनसाधारण अपने स्वयं के पंचायत इलाके में अपनी समस्याओ का आसानी से निपटान कर सके।

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर:

- मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविरों का आयोजन 10 मई से 10 जुलाई, 2017 तक किया गया।
- इन शिविरों में कृषि, सरकारी या राजस्व भूमि पर आवासीय कॉलोनियों का नियमन किया गया।
- राज्य अनुदान अधिनियम के तहत पट्टा जारी किए जाएंगे।
- आवासन मण्डल, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन एवं नगरीय निकायों द्वारा नीलाम किये गए भूखंडों को नियमित किया जाएगा।
- गाड़िया लौहार व घुमन्तु जातियों के लिए 50 वर्ग गज भूमि आवंटन नि: शुल्क होगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर-2017 सितंबर 2017 में निर्वाचन क्षेत्र अनुसार होंगे।
- विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
- विकलांग व्यक्तियों को अन्य उपकरणों को प्रदान करने के लिए पंजीयन किया जायेगा।

अन्नपूर्णा रसोई योजना:

तमिलनाडु में प्रसिद्ध अम्मा कैंटीन की तर्ज पर, राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना कार्यक्रम शुरू किया है जो किफायती दर पर गुणवत्ता वाले भोजन प्रदान करेगा। श्रमिक, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, छात्र, कामकाजी महिलाओं, बुजुर्ग और अन्य कमजोर वर्ग इस योजना के मुख्य लाभार्थी होंगे।

अन्नपूर्णा रसोई के सिद्धांत - " सबके लिए भोजन,सबके लिए सम्मान "।

अन्नपूर्णा रसोई योजना की विशेषताएं:

- भोजन को सब्सिडी दर पर उपलब्ध किया जाएगा, नाश्ता 5 रुपये, दोपहर का भोजन और रात के खाने के लिए 8 रुपये खर्च होंगे।
- पहले चरण में, यह योजना 12 जिलों में शुरू की जाएगी जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, प्रतापगढ़, डुंगरपुर, बंसवाड़ा, बारां और झालावाड़ शामिल हैं।
- जिले में स्थानीय स्व-सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित स्थान पर भोजन को वितरित करने के लिए 80 मोबाइल वैनो का इस्तेमाल किया जाएगा। भोजनसूचि, मात्रा और दर वैन पर प्रदर्शित होंगे।
- रसोई में भोजन बनाने वाले से वितरण करने वाले तक सभी कर्मचारियों को कैप, एप्रन, दस्ताने सहित विशेष वर्दी दी जाएगी व कर्मचारियों को आतिथ्य उद्योग में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- शेष 21 जिलों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने कर चोरी के 'मुखबिर' को पुरस्कृत करने के लिए नई योजना शुरू की

राज्य सरकार ने 'सूचनाकारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरस्कारों का अनुदान' लॉन्च किया है। इसके तहत, कर चोरी के मुखबिर को निर्विवाद राजस्व का 8% तक की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अगर पुरस्कार देने वाली समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि बगैर मुखबिर द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के कर चोरी का पता लगाया गया है तो इनाम की मात्रा 12% तक बढ़ाई जा सकती है, इस योजना से अधिकारियों को टैक्स और राजस्व की चोरी का पता लगाना आसान होगा।

हालांकि, नकद इनाम का यह अनुदान कुछ शर्तों के साथ आता है:

- वे तब ही पात्र होंगे जब ऐसी जानकारी के परिणामस्वरूप खजाने को 2 लाख रुपये या इससे अधिक के निर्विवाद राजस्व की वास्तविक प्राप्ति होती है।
- इनाम प्राप्त करने वाले आपूर्तिकर्ता केवल तभी योग्य होंगे यदि यह पाया जाता है कि उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का महत्व और सामान्य परिस्थितियों में उनकी मदद के बिना, चोरी का पता लगाया नहीं जा सकता था।

आजीवन संबंधित योजनाएं

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM):

- केंद्र द्वारा प्रायोजित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) को आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में राष्ट्रीय शहरी जीवनयापन मिशन (NULM) के रूप में पुनः संरचित किया गया था।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और अरक्षितता को कम करके उन्हें लाभदायक स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाने का है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी जीवन स्तर के निर्माण के जरिए, अपनी आजीविका में एक सुसंगत सुधार लाना है
- NULM चरणबद्ध तरीके से शुरू होता है

✓ चरण 1 (2012-2014),

✓ चरण II (2014- 2017)

✓ चरण III (2017-2022)

यह सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 व उससे ऊपर की आबादी वाले शहरों और एक लाख से कम आबादी वाले जिला मुख्यालय में आते है।

आर्थिक सहायता / वित्तीय मानदंड / NULM के तहत सीमा

SHG की स्थापनाः समूह गठन और विकास व बुनियादी वित्तीय समावेशन के लिए NGO/CBO / प्रशिक्षक/ एनिमेटर / प्राइवेट क्षेत्र आदि को प्रति SHG 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।

ब्याज सब्सिडी: बीपीएल के सभी योग्य बीपीएल व्यक्तियों या SHG,जिनके 70 प्रतिशत से अधिक सदस्य बीपीएल से हैं या जिन्होंने प्रयोजन ऋण भुगतान के आधार पर मुख्यधारा के वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है को 7% से अधिक ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी का लाभ पूंजी सब्सिडी के साथ नहीं किया जा सकता है

रिवॉल्विंग फंड: SHG को राशि के रूप में 10000 रुपये प्रति SHG व 50 000 रूपये प्रति क्षेत्रीय स्तर संघ (ALF) प्रदान किया जाता है SHG स्तर का राशि समर्थन सभी SHG को दिया जाना चाहिए जो कि पहले परिक्रामी निधि प्राप्त नहीं कर पाए हैं। केवल 70% से अधिक बीपीएल सदस्यों वाले SHG ही इसके लिए पात्र हैं।

सामुदायिक निवेश कोष: स्टेट लेयर कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड्स को राज्य के शेयरों के अनुरूप मिलाने के लिए 1000,करोड़ रुपये का सेंट्रल पूल समर्थन दिया गया है।CIF गरीब परिवारों को पूंजीकरण, बाहरी निधियों का लाभ उठाने, उत्पाद नवाचारों को उत्प्रेरित करने आदि में सहायता प्रदान करेगा।

राजस्थान ग्रामीण अजीविका विकास परिषद (RGAVP):

- राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत RGAVP के रूप में स्वायत्त समाज की स्थापना की है।
- RGAVP का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से आजीविका कार्यक्रम, परियोजना निधि आधारित वित्तीय समावेशन और राज्य में बैंक लिंकेज को लागू करना है।
- दिसंबर 2015 तक, RGAVP द्वारा लगभग 3.35 लाख परिवारों के साथ 29139 SHG और 935 VO का गठन किया गया है:

राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (RRLP)

- ✓ राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के 18 लक्षित जिलों में, गरीब ग्रामीणों , महिलाओं और उपेक्षित समूह का सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है।
- ✓ इस घटक का उद्देश्य गरीबों को स्व-सहायता समूह (SGH) में स्वयं को संगठित करने में मदद करना और टिकाऊ आजीविका गतिविधियों को शुरू करने और बढ़ाने के लिए धीरे-धीरे अपनी क्षमताओं का विकास करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

- आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य गरीब ग्रामीणो के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफार्म तैयार करना है जिससे उन्हें स्थायी आजीविका के माध्यम से अपनी घरेलू आय में वृद्धि करने व वित्तीय सेवाओं में बेहतर पहुंच के लिए सक्षम बनाना है

मिटिगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (Mpower)

- ✓ मिटिगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (Mpower) IFAD द्वारा समर्थित गरीबी मिटाने की पहल है

उद्यमिता और स्व-रोजगार

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (YUPY)

युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी इस योजना में कुछ संशोधन किया गया है ताकि इसे अधिक व्यापक बनाया जा सके। अब, 45 साल की उम्र तक के उद्यमी और आईटीआई / डिप्लोमा / स्नातक की योग्यता वाले, इस योजना के तहत नियमअनुसार `500 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

"भामाशाह रोज़गार सृजन योजना" -पंजीकृत बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति युवाओं, अनपढ़ और शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करके स्व रोजगार की सुविधा प्रदान करते है।

योग्यता:

- 18 से 50 साल के आयु वर्ग के सभी महिलाएं और पुरुष जिनके परिवार की आय 6 लाख से ज्यादा नहीं है और राजस्थान के मूल निवासी हैं इस योजना क लिए योग्य है।

मुख्य विशेषताएं:

- भामाशाह रोजगार सृजन योजना में बेरोजगार युवाओं को 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- इच्छुक नागरिक राज्य सरकार के स्वयं सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं
- सेवाओं और व्यापार के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 10 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध हैं।

राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (RSLDC)

- राजस्थान में कौशल और आजीविका विकास निगम को 2012 में निगम के रूप में स्थापित किया गया।

- RSLDC राजस्थान का राज्य कौशल मिशन है और राज्य में सभी कौशल विकास मसलों को RSLDC के जरिए निष्पादित किया जाता है।
- RSLDC का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना है।

RSLDC की प्रमुख योजनाएं

रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम - ELSTP (मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना):

- ESLTP को रोजगार के साथ कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था।
- इस कार्यक्रम में, एक प्रशिक्षण साझेदार को हर बैच की न्यूनतम 50 प्रतिशत नियुक्तियां सुनिश्चित करना है।
- चालू वित्त वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) के दौरान 23,276 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और वर्तमान में 10,546 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP):

- यह चयनित ITI, ITC, KVK, DCTC, RSETI, NGO और पंजीकृत स्वामित्व / भागीदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / सोसाइटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए RMoL का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और आत्म-रोजगार आधारित आजीविका को सक्षम करना है।
- इस योजना की मुख्य विशेषता महिलाओं, युवाओं, जेल कैदियों और विकलांग व्यक्तियों (PSA) की लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका में वृद्धि करना है। 2015-16 के दौरान 2965 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और वर्तमान में प्रशिक्षण के तहत 1,781 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY):

- इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को कौशल और मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी गरीबी को कम करना है।
- राजस्थान एक अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना है जिसका लक्ष्य एक लाख BPL युवाओं को प्रशिक्षित करना हैं।

- यह योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी।वर्तमान में, 36 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) ने राज्य भर में 120 कौशल विकास केंद्र (SDC) स्थापित कर दिए हैं।
- 2015-16 के दौरान 18,909 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 5,712 लाभार्थियों को इस योजना में प्रशिक्षण मिल रहा है।

कौशल विकास पहल योजना (SDIS):

रोजगार और प्रशिक्षण (DGE&T) के महानिदेशालय के SDIS को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी, 2014 में राजस्थान के कौशल विकास पहल समाज (RSDIS) का पुनर्गठन किया है।

यह ITI और निजी प्रशिक्षण भागीदारों / संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) स्थापित करके किया जाता है।

दिसंबर, 2015 तक 2,274 युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

नारायण मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल(जयपुर), मेडिकल और नर्सिंग सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है और इस योजना के तहत कई और संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

शिक्षा पर योजनाएं

राज्य और केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं। इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं:

सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

- यह भारत में प्राथमिक शिक्षा पर चल रहे कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी ढांचे और नामांकन में काफी सुधार हुआ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से कुछ कार्यक्रमों जैसे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, शारदे गर्ल्स हॉस्टल, सिविल वर्क, छात्रवृत्ति, नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण, सरकारी विद्यालयों में 8 वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नि:शुल्क लेप-टॉप वितरण, और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

'साक्षर भारत अभियान'

- प्रौढ़ शिक्षा के लिए, केंद्र प्रायोजित योजना 'साक्षर भारत अभियान' 8 सितंबर 2009 से शुरू की गई है।
- साक्षर भारत कार्यक्रम कोटा और प्रतापगढ़ जिलों को छोड़कर 31 जिले को कवर कर रहा है। इसलिए, कोटा और प्रतापगढ़ जिलों की अशिक्षित महिलाओं के लिए विशेष साक्षरता और व्यावसायिक शिविर आयोजित किए जाते हैं।

उत्कर्ष परियोजना

सरकारी स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी और प्रश्नोत्तरी आधारित अधिग्रहण प्रणाली के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, एचडीएफसी बैंक की मदद से मूनी फाउंडेशन जयपुर और शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा प्रोजेक्ट उत्कृष्टता राज्य के 9 जिलों झालावाड़, बारां , जोधपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर , हनुमानगढ़, पाली, अजमेर और जयपुर के 1400 से अधिक स्कूलों में शुरू की गई है। इससे 1 लाख से अधिक छात्रों को फायदा होगा।

उत्सव भोज

यह राजस्थान सरकार के मिड डे मील (MDM) योजना का विस्तार है। "उत्सव भोज" योजना के अंतर्गत दिन के भोजन में, कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अवसरों जैसे जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ आदि पर पूर्ण भोजन, मिठाई, कच्चा माल, उपकरण और बर्तन आदि प्रदान कर सकता है।

ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्य मंत्री विद्यादान कोष

राजस्थान में राज्य के स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त 2017 को शिक्षा विभाग के ज्ञान संकल्प पोर्टल को शुरू किया। ज्ञान संकल्प पोर्टल कॉर्पोरेट घरों और दानदाताओं को सरकारी स्कूलों का समर्थन करने की अनुमति देगा। राजस्थान में इस पहल के लिए 'मुख्यमंत्री विद्यादान कोष' (शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री फण्ड), जिसका उद्देश्य शिक्षा में वित्त पोषण के अंतर को कम करना है

दाता या CSR कंपनी परियोजना की गतिविधि के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से परियोजना को कार्यान्वित करके लागू कर सकते है।

राज्य सरकार विदेशी स्रोतों से योगदान पाने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत और आयकर छूट प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 (G) के तहत योगदान को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करेगा।

प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति

राज्य सरकार सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

- IIT, IIM, AIIMS, NLU, IIS में नामांकित पहले 100 विद्यार्थियों को 25,000 रुपये की एक मुश्त सहायता और उद्धरण दी जाएगी।
- राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षा (RSA परीक्षा) में अंतिम चयन पर, पहले 100 उम्मीदवारों को 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
- अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) में अंतिम चयन पर, 50,000 रुपये की एकमुश्त राशि पहले 50 प्रतियोगियों को दी जाएगी।

योग्यता:

- उम्मीदवार राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- राजस्थान मूल के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के (जो अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का न हो) परिवार का सदस्य हो।
- विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
- उम्मीदवार के माता-पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- उम्मीदवार अंतिम चरण तक प्रतियोगी परीक्षा में चुना गया हो।
- उम्मीदवारों ने IIT, IIM, AIIMS, NLU, IIS प्रवेश परीक्षा और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लिया है।

अम्बेडकर फैलोशिप स्कीम

Ph.D स्तर पर देश में शोध के लिए SC श्रेणी के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए 5.40 लाख रुपये का योगदान दिया जायेगा।

न्यूनतम योग्यता और पात्रता:

- आवेदक राजस्थान के मूल निवासी हैं।
- छात्र ने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।
- निम्नलिखित विषय राज्य में नियमानुसार स्थापित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित होने आवश्यक है तथा पीएचडी कोर्स में दाखिला होने वाले होना आवश्यक है।
    - नागरिक-शास्त्र
    - सार्वजनिक-प्रशासन
    - पद्धति
    - अर्थशास्त्र
    - राजनीति
    - मानव-शास्त्र
- चयन प्रक्रिया में केंद्रीय या राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में भर्ती होने वाले खोजकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना के तहत जारी विज्ञापन की तिथि पर उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवार राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए हैं।

आय सीमा:

- उम्मीदवार के पूरे परिवार के सभी स्रोतों से अर्जित आय सालाना 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी स्तर पर विदेश में शोध करने के लिए 25 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

न्यूनतम योग्यता और पात्रता

आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

छात्रों द्वारा नियमानुसार स्थापित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्यन करते हुए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अर्जित किये गये हो

निम्नलिखित विषयों में पी.एच.डी. भारत के बाहर विदेशी विश्वविद्यालय (प्रत्यायन) विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान संबंधित देश के अधिकृत निकाय से पूर्ण होनी चाहिए पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है:-

- नागरिक-शास्त्र
- सार्वजनिक-प्रशासन
- पद्धति
- अर्थशास्त्र
- राजनीति
- मानव-शास्त्र

आयु सीमा:

- इस योजना के तहत विज्ञापन जारी होने की तिथि पर उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।

आय सीमा:

- उम्मीदवार के पूरे परिवार के सभी स्रोतों से अर्जित आय सालाना 6 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना

- IIT / IIM / LAW राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा।

पात्रता:

- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

- छात्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सरकारी छात्रावास में रह रहा हो।
- राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी / चिकित्सा / विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए छात्र नियमित रूप से कक्षा 11 और 12 में भाग ले रहा हो।
- छात्र स्नातक / स्नातकोत्तर राज्य या मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में CAT / MAT में प्रवेश के लिए राज्य स्तर प्रबंधन संस्थानों (IIM) आदि में नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के छात्रों (यदि उम्मीदवार की आय में शामिल है) की माता-पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय, 2.5 लाख से अधिक (दो लाख पचास हज़ार रुपए) न हो।
- इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं, मेडिकल कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा अधिकतम दो वर्षों के लिए और देय केवल 1 साल क लिए होगा।

पात्रता के लिए कक्षा-वार न्यूनतम प्रतिशत

class	category	Percentage of minimum score	Minimum percentage for medical coaching
10	Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Special Backward Classes	60 percent	70 percent
10	Other Backward Classes / General	70 percent	80 percent
Postgraduate level course	Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Special Backward Classes / Other Backward Classes / General	60 percent	-

अन्य सुविधायें:

- कोटा और जयपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग दी जाएगी।
- कोटा और जयपुर दोनों जगहों पर हर साल 500-500 छात्रों का चयन किया जाएगा।
- इनमें से 30 प्रतिशत सीटें संबंधित श्रेणियों की लड़कियों के लिए आरक्षित होगी।

राजस्थान सरकार द्वारा अन्य पहल:

- वर्ष 2015-16 में, 200 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' (KGBV) काम कर रहे हैं और 19,533 लड़कियां इन स्कूलों में पढ़ रही हैं।
- लड़कियों के लिए मेवात बालिका आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। लड़कियों के लिए ये आवासीय विद्यालय मेवात क्षेत्र में हैं, जो मोटे तौर पर शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हैं। इस सुविधा से 419 लड़कियों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है।

- सामाजिक विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रणाली आदि पर समुदाय में जागरूकता पैदा करने और अनियमित स्कूल छोड़ने या बेटियों का स्कूल में नामांकन न करवाने पर माता-पिता को उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए कक्षाएं VI से VIII कक्षा में पढ़ रही लड़कियों को शामिल करके 9206 नोडल स्कूलों और 200 केजीबीवी में 'मीना मंचो' का गठन किया गया है।
- स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबलन अभियान, स्कूल निगरानी कार्यक्रम 2012-13 से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भौतिक और मानव संसाधन, स्कूल के वातावरण, शिक्षण -सीखने की प्रक्रिया और हिंदी, गणित और अंग्रेजी में छात्रों के सीखने के स्तर की स्थिति का पर्यवेक्षण करना है। वर्ष 2015-16 के पहले चरण में 6,742 स्कूलों की निगरानी की गई थी सीखने के स्तरों के विश्लेषण के बाद उपचारात्मक उपाय किए गए थे।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत, कई बालिका केंद्रित पहल की गई है, जैसे KGBV नामांकित लड़कियों के लिए साइकिल वितरण, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR), गार्गी पुरस्कार, मुख्यमंत्री की हमारी बेटी योजना, बालिका शिक्षा फाउंडेशन आदि।

ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद -राजीवीका (RGAVP)

RGAVP एक स्वायत्त संस्था है जिसे अक्टूबर, 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। यह समिति, समाज पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है और स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है।

वर्तमान में, RAJEEVIKA द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं लागू की जा रही हैं: -

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (RRLP) जून, 2011 से 60 विभागों में कार्यान्वित की जा रही है।
- अप्रैल, 2013 से 9 विभागों में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) लागू की जा रही है।
- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को अप्रैल, 2013 के बाद से चरणबद्ध तरीके से शेष विभागों में लागू किया जा रहा है।

राजस्थान में क्षेत्रीय विकास योजनाएं

मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान

यह परियोजना वर्ष 2016-17 में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालौर जिलों में प्रत्येक में एक ब्लॉक में कार्यान्वित की जा रही है सिरोही(पिंडवाड़ा) और जोधपुर(बालेसर) के दो नए ब्लॉकों को योजना मे सम्मिलित किया गया है। इसके तहत, क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह(SHG) का गठन किया गया है तथा इन्हे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक साख सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेव के निवास क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मेव समुदाय अलवर और भरतपुर जिले के 12 ब्लॉक में केंद्रित है। मेव अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिए, राजस्थान सरकार मेवाट क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए 1987-88 से एक विशेष विकास कार्यक्रम चला रही है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

केंद्रीय प्रवर्तित योजना (CSS) के रूप में 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) पेश किया गया था। BADP केंद्रीय सरकार की नीतिगत पहल है। जिसके अनुसार सीमावर्ती जिलों का संतुलित विकास किया जाना है।

यह कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 ब्लाकों, में लागू किया जा रहा है। BADP के तहत, ज्यादातर फंड सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए निवेश किया जाता है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राजस्थान सरकार द्वारा 2004-05 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुन: लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झलावाड़ , भरतपुर, कोटा और बूंदी) की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राजस्थान का दक्षिणी मध्यवर्ती हिस्सा विशेष रूप से अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद की पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह हिस्सा जनजातीय क्षेत्र विकास (TAD) के तहत कवर नहीं किया जाता तथा स्थानीय रूप से "मगरा" नाम से जाना जाता है

निवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए, 5 जिलों के 14 ब्लॉकों में 2005-06 से "मगरा क्षेत्र विकास अभियान" शुरू किया गया था। वर्तमान में यह उपरोक्त जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए जल विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की गतिविधियां संचालित की गई हैं।

गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना (GGJVY)

राज्य के सभी 33 जिलों में गुरु गोळवलकर ग्रामीण जन भागिदारी विकास योजना 30.09.2014 को शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास, रोजगार सृजन, निर्माण और सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव के लिए सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।यह योजना राज्य द्वारा वित्त पोषित है और राज्य के ग्रामीण इलाकों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत "शामशान / कब्रिस्तान" की सीमा-दीवारों के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत धन उपलब्ध कराइ जाएगी। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, 70 प्रतिशत धनराशि और जनजातीय उप योजना (TSP) क्षेत्रों में 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

विधान सभा के सदस्यो द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)

इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता की मूलभूत संरचना बनाने और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए स्थानीय जरूरत आधारित आधारभूत संरचना का विकास करना है। यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 2.25 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए सालाना कुल आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत अनुशंसित होना चाहिए। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना (MJSY) के तहत कुल आबंटन का 25 प्रतिशत या कुल कार्यों का 25 प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर कार्यक्रम -

पंचायत स्तर पर ग्रामीण लोगों की शिकायतों का निपटान करने व ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए पंचायत शिवरों का आयोजन किया जाता है। "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविरों" 14 अक्टूबर, 2016 से शुरू हुए हैं।

मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (MAGPY)

इस योजना में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि जैसे कई क्षेत्रों में चयनित गांवों के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के अतिरिक्त MAGPY गांवों और वहां के लोगों को दूसरों के लिए आदर्श बनाने के लिए उनमे लोगों की भागीदारी, लिंग समानता, महिला गरिमा, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा, स्वच्छता, स्थानीय स्वराज्य, पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन जैसे मूल्यों को पैदा करने का लक्ष्य है।

ग्राम पंचायत विकास की मूल इकाई है, विधान सभा के सदस्य (विधायक) इस योजना के प्रमुख अंग हैं।

ग्रामीण सड़कें:

राजस्थान राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, दो योजनाओं को लागू किया जा रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गौरव पथ (GGP) और केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना (PMGSY)।

ग्रामीण गौरव पथ योजना (GGP)

ग्रामीण गौरव पथ परियोजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख सड़क निर्माण परियोजना है, राज्य की योजना के तहत 33 जिलों में लगभग 2,048 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करने की योजना है। यह परियोजना राजस्थान लोक निर्माण विभाग द्वारा लागू की जा रही है।

गौरव पथ योजना की विशेषताएं:

- ग्रामीण गौरव पथ के तहत, गांव की सड़कों को मुख्य मेगा राजमार्गों से जोड़ा जाएगा।
- एक वर्ष में निविदाएं पूरी करने वाले ठेकेदारों द्वारा सीमेंट कंक्रीट सामग्री से सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा।
- गांव की सड़कों के अलावा, छोटे सीवर सिस्टम भी बनाये जायेंगे।
- राजस्थान के 33 जिलों के 9900 गांवों में से 2105 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) (केंद्रीय सरकार की योजना)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 25 दिसंबर 2000 को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दशा में सड़क की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक व्यक्तियों की आबादी वाली सभी बस्तियों, समतल क्षेत्रों, और 250 से अधिक जनसंख्या और पहाड़ी राज्यों , आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

राजस्थान के सभी 33 जिलों में 3000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ही 1100 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 326.08 कि.मी. की 51 आवासों का निर्माण किया गया है। राजस्थान में इस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी राजस्थान ग्रामीण रोड डेवलपमेंट एजेंसी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लागू अन्य महत्वपूर्ण केंद्रीय शासकीय योजनाएं:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को देश को 2 अक्टूबर, 201 9 तक खुले में शौच मुक्त (ODF) को बनाने का लक्ष्य रखा था। राजस्थान में, ODF की स्थिति हासिल करने का लक्ष्य मार्च 2018 तक निर्धारित किया गया है।

व्यक्तिगत व पारिवारिक शौचालय (IHHL) के निर्माण और उपयोग करने पर सभी गरीबी रेखा के नीचे(BPL) परिवारों, गरीबी रेखा के ऊपर (APL) परिवारों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला मुखियावाले परिवार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीबी रेखा के ऊपररहने वाले चिन्हित परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय(IHHL) की एक इकाई के निर्माण और उपयोग करने पर 12,000 तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस प्रोत्साहन में केंद्रीय हिस्सा 60 प्रतिशत है जबकि राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत है।

सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख रु का प्रावधान है इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समुदाय के बीच साझाकरण पैटर्न 60: 30:10 के अनुपात में है।

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिए, ग्राम पंचायतों को 7 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 20 नवंबर 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी।

विशेषताएं:

- प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन - चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना - 2011 (एसईसीसी-2011) के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
- सरकार लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इसके साथ, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को शौचालय बनाने के लिए अतिरिक्त 12,000 रूपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
- लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से दैनिक मजदूरी भी प्रदान की जाती है।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का खर्च 60:40 के अनुपात में है।

इंदिरा आवास योजना (IAY)

IAY का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के गरीब ग्रामीणो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है उनके लिए सहायता प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के बाद से, बेकार कच्चे घरों का सुधार के खर्च में सब्सिडी को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना की निम्न विशेषताएं हैं:

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए 3 प्रतिशत धनराशि आरक्षित है और 15 प्रतिशत निधि अल्पसंख्यक के लिए है।

- सहायता परिवार की महिला सदस्य या पति और पत्नी के संयुक्त नामों से प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया जाता है।
- सेनेटरी शौचालय और धुआँरहित चूल्हा IAY घर का अभिन्न हिस्सा हैं।
- ग्राम सभा में IAY के तहत लाभार्थियों का चयन होता है।
- निर्माण प्रौद्योगिकी, सामग्री और डिजाइन का चयन लाभार्थियों की पसंद पर पूरी तरह से छोड़ा गया है। घर के निर्माण के लिए मध्यस्थ या ठेकेदार या विभागीय एजेंसी की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन (SPMRM)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन (SPMRM) हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से स्थायी क्षेत्र बनाने का एक प्रयास है। नेशनल ररबन मिशन (NRuM) का लक्ष्य, देश भर में अगले तीन वर्षों में 300 ऐसे रुरबन विकास समूहों को बनाने का है।

पहले चरण 2015-16 के समूह में राज्य के भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर जिलो का चयन किया गया है। दूसरे चरण 2016-17 के समूह में छह राज्य अलवर, बीकानेर, जालोर, प्रतापगढ़, बंसवारा और जयपुर जिला चयनित है।

संसद के सदस्यो द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)

राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक MP जिला कलेक्टर को अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर साल 5 करोड़ रुपये तक निर्माणकार्य करवाने के लिए सिफारिश दे सकता है। राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते है राज्य के किसी भी जिले में कार्यान्वयन के लिए काम का चयन कर सकते हैं। सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों / राज्यों के बाहर भी काम कराने की सिफारिश

कर सकते हैं, जो कि दिशानिर्देशों में अनुमत हैं,पुनर्वास के लिए देश के किसी भी हिस्से में "गंभीर प्राकृतिक आपदा"में प्रत्येक आपदा के लिए 1.00 करोड़ तक की राशि प्रदान कर सकते है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना है और इस प्रकार पूरे राज्य में कार्यरत होकर सम्पूर्ण विकास में वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों प्रत्येक परिवार में जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों में आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
- कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी।
- पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर घर के सभी वयस्क सदस्यों की तस्वीरों के साथ नौकरी कार्ड मुफ्त में जारी किए जाते हैं।
- रोजगार के लिए आवेदन की दिनांकित रसीद प्रदान की जाती है।
- आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी।
- यदि रोजगार आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रदान नहीं किया जाता है तो गैर-रोजगार भत्ता राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, ।
- कार्य गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाता है 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय है।
- कार्यप्रदर्शन के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है। वर्कसाइट में पीने के पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा और शिशुसदान सुविधाएं अनिवार्य हैं।
- ग्राम सभा कार्य की पहचान करने और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण है।
- कोई ठेकेदार और मशीनरी की अनुमति नहीं है।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परिक्षण किया जाता है।
- सभी वेतन भुगतान केवल बैंकों / डाक घरों के माध्यम से होते है।
- ग्राम सभा को प्रगति और काम की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सशक्त बनाया गया है।
- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।

बुनियादी ढांचा से संबंधित योजनाएं

स्मार्ट सिटी मिशन:

स्मार्ट सिटी मिशन को भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू किया गया था ताकि प्रमुख बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराए जाने वाले शहरों को प्रोत्साहन दिया जा सके और नागरिकों को एक स्वच्छ और दीर्घकालिक पर्यावरण और 'स्मार्ट' समाधान के साथ उच्च जीवन स्तर दिया जा सके। राजस्थान में कुल 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है ।

अमृत मिशन:

पुनर्जीवन व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) जून, 2015 में भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था।

राजस्थान में 29 शहरों अलवर, ब्यावर , सीकर, नागौर, भिवाडी, पाली, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, बूंदी , सुजानगढ़, धौलपुर , गंगापुर सिटी , चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, चूरू , झुनझुनु, बारां , किशनगढ़,हिण्डोन सिटी , जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और झालावाड़ का चुनाव अमृत मिशन के अंतर्गत हुआ है।

इस मिशन के तहत आने वाले क्षेत्र जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, नालियां, शहरी परिवहन और ग्रीन स्थल हैं।

'मेरा शहर, खुशहाल शहर' कार्यक्रम

राजस्थान सरकार ने अपने बड़े शहरों में खुशी सूचकांक को मापने का फैसला किया है। इसे 'मेरा शहर, खुशहाल शहर' कार्यक्रम का नाम दिया गया है, राज्य सरकार ,राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में से सबसे ज्यादा खुश,सबसे अनुकूल और सबसे साफ शहर का चुनाव करेगी।जिला मुख्यालय में रहने वाले लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने शहरों का मूल्यांकन करेंगे, जो 30 जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा। निवासियों को चार विकल्पों में से उनकी रेटिंग देने के लिए कहा जाएगा - संतुष्ट, संतुष्ट नहीं, खुश और बहुत खुश।

उदय योजना:

राजस्थान सरकार ने अपनी विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMS) के साथ उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना में शामिल होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

इस समझौता ज्ञापन का राज्य DISCOMS क्षेत्र जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVNL), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVNL) शामिल हैं।

इसी के साथ राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद उदय योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।

उज्जवला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) की विशेषताएं:

राज्य डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊर्जा वितरण कंपनियों के आर्थिक पुरुत्थान के लिए उज्ज्वल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना शुरू की है।

औसत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) घाटे के आधार पर डिस्कॉम के संचालन और वित्तीय ऋण-भार को कम करने के उद्देश्य से व प्रति यूनिट विद्युत खर्च और राजस्व प्राप्ति के अंतर को कम करने के लिए 20.11.2015 को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना अधिसूचित की गई।

भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रत्येक राजस्थान डिस्कॉम के साथ त्रिकोणीय समझौते ज्ञापन पर 27 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सभी तीन हितधारकों की जिम्मेदारियां तय की गई थीं।

राजस्थान सरकार द्वारा 27 जनवरी, 2016 को उदय योजना के समझौता ज्ञापन के अनुसार, 30 सितंबर, 2015 को बकाया ऋण राशि के 75 प्रतिशत राशि का भार 2 में वर्षो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 50 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 25 प्रतिशत वहां किया जायेगा।

राजस्थान सभी शहरी स्थानीय निकायों में LED स्ट्रीट लाइट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है

राजस्थान अपने सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में केंद्र की स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP) को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया।

राज्य में लगभग 5 लाख पारंपरिक स्ट्रीट-लाइट को LED स्ट्रीट लाइट से बदल दिया गया है। पूरी सड़क पर प्रकाश परियोजना को ऊर्जा दक्षता सेवा सीमित (EESL)द्वारा राज्य पे बिना कोई भार डाले वित्त पोषित किया गया था। EESL ऊर्जा सेवा कंपनी, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है, SLNP भारत सरकार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना (MMGGY)

निर्जन क्षेत्र और बिखरी ढानियों के घरेलू घरों को बिजली प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। पहले चरण में, इच्छुक ग्रामीणों ने नवंबर 2016 तक 100 रुपए पंजीकरण फीस के रूप में जमा किए हैं।

मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान (MMVSA)

राज्य में ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं को अच्छी सुचारु, निरंतर और गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति के उद्देश्य से राज्य में MMVSA कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि बिजली व बिजली सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके और AT&C का घाटा 15 फीसदी तक घटाकर बिजली दरों को नियंत्रित किया जा सके। यह कार्यक्रम तीन चरणों में क्रियान्वित होगा।

- प्रथम चरण- दिसंबर, 2016
- द्वितीय चरण-जून, 2017
- तृतीय चरण- दिसंबर, 2017